YOUNG INDIA > YOUNG PAPER
NBT
नवभारत टाइम्स

बढ़ा व्यापारियों का गुस्सा

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली के व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि 15 मार्च से बाहर से आने वाले माल के लिए टी-2 फार्म भरना जरूरी किया गया, तो वे बाजार बंद से लेकर सत्याग्रह तक का रास्ता अपनाएंगे। उन्होंने आज चांदनी चौक घंटाघर पर धरना देने की घोषणा की है। उधर, वैट कमिश्नर प्रशांत गोयल ने कहा है कि टी-2 फॉर्म 15 मार्च से ही लागू होगा। आचार संहिता लगी होने के कारण इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।

कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि राजधानी में ट्रक रात 9 बजे के बाद ही एंट्री कर सकते हैं। व्यापारियों को ड्राइवर के पास पर्ची चेक करने के लिए रातभर जागना पड़ेगा, इससे दिन में व्यापार ठप हो जाएगा। वैट कमिश्नर के मुताबिक, व्यापारियों की सहायता के लिए एसएमएस व मोबाइल ऐप सुविधा शुरू की गई है। कमिश्नर ने साफ किया कि बिना फार्म भरे सामान मंगाने पर ट्रक बॉर्डर पर रोके जा सकते हैं।

3 मुद्दों पर नाराजगी

1. टी-2 फार्म : दिल्ली से बाहर से बुक माल की ऑनलाइन जानकारी इस फार्म में देनी होगी।

2. 7 साल के खाते : दुकान पर 7 साल तक के खाते रखने होंगे। वैट विभाग के मुताबिक, यह नियम 2005 से ही है।

3. टैक्स की जिम्मेदारी : खरीदे गए माल का टैक्स बेचने वाले व्यापारी ने जमा किया या नहीं, यह देखना खरीददार की जिम्मेदारी होगी। टैक्स जमा नहीं है, तो खरीददार को ही टैक्स देना होगा।